रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 539] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2011/चैत्र 9, 1933

No. 539] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2011/CHAITRA 9, 1933

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2011

का.आ. 654(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन), आदेश 2011 है।

(2) यह 1 अप्रैल, 2011 को प्रवृत्त होगा ।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुपालन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 में, खण्ड 6 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"7(1) इस आदेश के उपबंध, खण्ड 5 और 6 के सिवाय,

(i) 30 सितम्बर, 2011 तक की अवधि के लिए दालों, धान और चावल को;

(ii) 30 सितम्बर, 2011 तक की अवधि के लिए खाद्य तेल और खाद्य तिलहन को; और

(iii) 30 सितम्बर, 2011 तक की अवधि के लिए चीनी को, इन वस्तुओं के क्रय, संचालन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण को लागू नहीं होंगे:

परन्तु इस खण्ड की कोई बात, इन वस्तुओं के राज्य से बाहर स्थानों को परिवहन, वितरण या व्ययन को न तो प्रभावित करेगी, न ही इन वस्तुओं के आयात को लागू होगी :

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार आयातकर्ताओं को यह निदेश दे सकेगी कि वे इन वस्तुओं के स्टॉकों की प्राप्तियों और उनके द्वारा प्रतिधारित स्टॉकों की घोषणा करें ।

(2) इस आदेश के अन्य सभी उपबंध उप-खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान भी प्रवर्तन में बने रहेंगे ।

स्पष्टीकरण : यदि कोई थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता या व्यौहारी यह प्रदर्शित करने में समर्थ है कि उसने दालों, धान, चावल, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के संबंध में अपने स्टॉकों का भाग आयात से प्राप्त किया है, तो उन्हें स्टॉक सीमाओं की संगणना के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा।"

3. भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2361(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2010 और का.आ. 3060(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2010, उन बातों के सिवाय, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गईं थी अथवा जिनके करने का लोप किया गया था, अधिक्रांत हो गई हैं।

[फा. सं. 10/1/2006-ईसीआर एण्ड ई]

राकेश कक्कड़, विशेष सचिव

टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. संख्यांक 104(अ), तारीख 15 फरवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् सा.का.नि. 490(अ), तारीख 16 जून, 2003; का.आ. 1373(अ), तारीख 29 अगस्त, 2006; का.आ. 297(अ), तारीख 27 फरवरी, 2007;

का.आ. 1488(अ), तारीख 31 अगस्त, 2007; का.आ. 400(अ), तारीख 28 फरवरी, 2008; का.आ. 823(अ), तारीख 7 अप्रैल, 2008; का.आ. 2117(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008; का.आ. 2247(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008; का.आ. 2248(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008; का.आ. 2249(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008; का.आ. 649(अ), तारीख 9 मार्च, 2009; का.आ. 880 (अ), तारीख 30 मार्च, 2009; का.आ. 905(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2009; का.आ. 906(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2009; का.आ. 1621(अ), तारीख 2 जुलाई, 2009; का.आ. 2461(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2009; का.आ. 3249(अ), तारीख 18 दिसम्बर, 2009; का.आ. 2361(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2010 और का.आ. 3060(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2010 द्वारा उसे संशोधित किया गया।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 30th March, 2011

S.O. 654(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, namely:—

1. (1) This Order may be called the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2011.

(2) It shall come into force on the 1st day of April, 2011.

2. In the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, after clause 6, the following clause shall be added, namely:—

"7(1) Except clauses 5 and 6, the provisions of this Order shall not apply to —

(i) pulses, paddy and rice for a period up to 30th September, 2011,

(ii) edible oils and edible oilseeds for a period up to 30th September, 2011, and

(iii) sugar for a period up to 30th September, 2011,

in respect of the purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale of these commodities:

Provided that nothing in this clause shall affect the transport, distribution or disposal of these commodities to places outside the State nor shall it be applicable to import of these commodities:

Provided further that the Central Government or the State Government may direct the importers to declare the receipts of stocks of these commodities and stocks retained by them.

(2) All other provisions of this Order shall continue to remain in force even during the period specified in sub-clause (i).

Explanation: If a wholesaler or retailer or dealer is able to demonstrate that part of his stocks in respect of pulses, paddy, rice, edible oils and edible oilseeds are sourced from imports, then, they shall be excluded for the purpose of calculation of stock limits".

3. The notifications of the Government of India in the Department of Consumer Affairs number S.O. 2361(E), dated 29th September 2010 and S.O. 3060(E), dated 30th December, 2010, stand superseded, except as respects things done or omitted to be done before such supersession.

[F. No. 10/1/2006-ECR & E]

RAKESH KACKER, Spl. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 104(E), dated the 15th February, 2002 and subsequently amended by numbers G.S.R. 490(E), dated the 16th June, 2003, S.O.1373(E) dated the 29th August, 2006, S.O. 297 (E), dated the 27th February, 2007, S.O. 1488(E), dated the 31st August, 2007, S.O. 400 (E), dated the 28th February, 2008, S.O. 823(E), dated the 7th April, 2008, S.O.2117 (E), dated the 27th August, 2008, S.O. 2118(E), dated the 27th August, 2008, S.O. 2247(E), dated the 22nd September, 2008, S.O. 2248 (E), dated the 22nd September, 2008, S.O.2249(E), dated the 22nd September, 2008, S.O.649 (E), dated the 9th March, 2009, S.O. 880(E), dated the 30th March, 2009, S.O. 905(E), dated the 2nd April, 2009, S.O. 906(E), dated the 2nd April, 2009 and S.O. 1621(E), dated the 2nd July, 2009, S.O. 2461(E), dated the 25th September, 2009, S.O. 3249(E), dated the 18th December, 2009, S.O. 2361(E), dated the 29th September, 2010 and S.O. 3060 (E), dated the 30th December, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.